

नगर परिषद, कुचामन सिटी

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.:

LSG/KUCHAMAN CITY/FIRENOC/2025-26/59734

जारी दिनांक:

24-OCT-2025

वैधता दिनांक:

23-OCT-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती:

CHAINA RAM

आवेदक का पता:

ADAKSAR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन TAGORE BALIKA SHIKSHA SAMITI, 1, JUSRI ROAD, TORDA, KUCHAMAN CITY, DIDWANA-KUCHAMAN, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से उपर अंकित अवधि हेतु ही मान्य होगा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्सोरेटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिर्षण पत्र निरस्त माना जाएगा
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र सफ्टवेयर रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर सफ्टवेयर रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- भूमि व भवन सम्बंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।



Signed by: Shikesh Kankariya
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KUCHAMAN CITY, Rajasthan
Date: 24/10/2025 18:02:16

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, कुचामन सिटी